

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान, जयपुर।  
(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)  
(Phone Number—0141—2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(एक्स.17 पार्ट-2 नाम विलोपित/2024/ 230

दिनांक:— 15/5/24

—:आदेश:—

श्रीमती मलकीत कौर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वामीजी की ढाणी सामु0 स्वा0 केन्द्र फलसुण्ड जिला जैसलमेर जिनकी जन्म तिथि 25.8.1970 है तथा राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 11.03.1998 है, जिनका राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 29.09.2019 को स्वर्गवास हो जाने पर दिनांक 29.09.2019 से राज्य सेवा से एतद् द्वारा नाम विलोपन/पृथक किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर।

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(एक्स.17 पार्ट-2 नाम विलोपित/2024/ 230  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:— 15/5/24

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु0 स्वा0 केन्द्र फलसुण्ड (जैसलमेर)
5. प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी(अराजपत्रित)/टीसी अनुभाग, मुख्यालय।
6. संबंधित कार्मिका के द्वारा उनके आश्रित को क्र0सं0 4 के
7. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर।

RajKaj Ref  
7068535

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :14-05-2024 06:07:24